4. Installation of in-motion wagon weigh-bridges.

5. Reduction in the Quantum of foodgrains filled in each bag.

6. Administrative measures such as tightening of security at depots, intensifying surprise checks, ensuring regular stock verifications etc.

7. Permission to Food Corporation of India to undertake open market sales of wheat and rice with a view of reducing stocks.

8. Maximising the godown capacity utilisation. Presently the capacity utilisation is 88% as on 31st July, 1994.

9. Reducing the incidence of shortages in handling.

10. Continuing broadly the policy of ban on entry level posts and not filling up of resultant posts to reduce establishment cost.

Sugar Factories in Cooperative Sector

3285. SHRI B.K. HARI PRASAD: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Kamataka' s proposals for setting up two sugar factories in cooperative sector and eight in the private sector are pending with the Centre for clearance; and

(b) if so, the status of the same and the likely time-frame for processing the proposals towards early decision?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) 60 proposals received through the Department of Industrial Development for setting up of new sugar factories in the State of Kamataka have been scrutinised by the Screening Committee. After examination, recommendations of the Ministry of Food were sent to the Ministry of Industry for consideration by the Licensing Committee. As on 30.6.1994, 5 letters of intent in the cooperative sector and one in private sector have been issued by the Ministry of Industry. Four applications of the private sector are still under consideration in the Ministry of Industry. In regard to one proposal in the cooperative sector, certain information/ clarification was called for from the Government of Kamataka. This information is still awaited.

गेहूं का खरीद मूल्य

3286. श्री अजीत जोगी: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों के लिये गेहूं का खरीद मूल्य और उपभोक्ताओं के लिये गेहूं का निर्गम मूल्य कितना-कितना निर्धारित किया गया है:

(ख) उपभोक्ताओं के लिये आयातित गेहूं का निर्गम मूल्य क्या होगा;

(ग) क्या यह आयातित गेहूं केन्द्रीय पूल में रखा जाएगा या इसे गेहूं की कमी वाले राज्यों को आवंटित किया जायेगा और इन राज्यों को गेहूं की कितना मात्रा आवंटित किये जाने का विचार है; और

(घ) सरकार को इस प्रकार गेहूं आवंटित करने में प्रति किलो के हिसाब से कितना नुकसान होने की संभावना है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) वर्तमान रबी विपणन मौसम, 1994-95 के दौरान गेहूं का वसूली मूल्य 350 रु० प्रति क्विंटल है। 1.2.1994 से गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) 402 रु० प्रति क्विंटल है।

(ख) किसानों से वसूल किया गया स्वदेशी और विदेश से आयात किया गया, दोनों प्रकार का गेहूं भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक-समान केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) जारी किया जा रहा है।

(ग) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल में रखे जा रहे स्टाक से आयातित गेहूं सहित गेहूं के आवंटन विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से प्राप्त हुई मांगों, उनकी सापेक्ष आवश्यकताओं, केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक आदि के आधार पर प्रत्येक मास किये जाते है।

(घ) 1994-95 (बजट अनुमान) में लगाए गए अनुमान के अनुसार सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में वहन की जाने वाली प्रति किलोग्राम गेहूं की हानि 1.62 रुपये हैं।